

ate 16-06-2023
been uploaded
in the Portal

Remarks

8

EMD/All
Document are to
be submitted
online only.

EMD/All
Document are to
be submitted
online only.

r making online
07-07-23 up to
entioned portal.
ewspaper.
/-
(Capital Zone)
adhya Pradesh

मुख्यालय "गौरा देवी पर्यावरण भवन"
उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
46बी, आई0टी0 पार्क, सहस्त्रधारा रोड, देहरादून
E-mail : msukpcb@yahoo.com. Ph. No. : 0135-2607092

पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु लोक सुनवाई के लिये सूचना

श्री 0 माँ भगवती माइन्स एण्ड गिनरल्स द्वारा श्री विश्व विजय सिंह पुत्र श्री किशन सिंह, निवासी होटल सिवर्क, निकट टैक्सि स्टैंड, पिण्डारी रोड, बागेश्वर द्वारा ग्राम भीड़ी एवं बामन भीड़ी, तहसील एवं जिला बागेश्वर में प्रस्तावित सोपस्टोन माइनिंग (क्षेत्रफल-20.277 हे0) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु लोक सुनवाई का प्रस्ताव उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, देहरादून के समक्ष प्रस्तुत किया गया है। प्रस्ताव के लिये राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा Terms of Reference निर्धारित किये गये हैं, जिनके अन्तर्गत प्रस्तावक के द्वारा झापट पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन रिपोर्ट एवं पर्यावरण प्रबन्धन योजना तैयार कर प्रस्तुत की गयी है। पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी ई.आई.ए. अधिसूचना 14.09.2006 (सथासंशोधित) के अनुसार उक्त प्रकार की परियोजनाओं के क्रियान्वयन से पूर्व लोक सुनवाई का प्राविधान है, जिस हेतु 30 दिनों का नोटिस समाचार पत्रों के माध्यम से जन साधारण के संज्ञानार्थ दिया जाना आवश्यक है। लोक सुनवाई हेतु "पैनल" की संरचना उक्त अधिसूचना के अनुरूप निम्नवत् है :-

1. जिलाधिकारी, जनपद बागेश्वर या उनके द्वारा नामित / अधिकृत प्रतिनिधि जो जिला स्तरीय अधिकारी हो - लोक सुनवाई के अध्यक्ष।
2. उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के प्रतिनिधि।

प्रस्ताव से सम्बन्धित जमा समस्त अभिलेख (i) क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, 25 - सुभाष रोड, देहरादून (ii) मुख्यालय, उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, गौरा देवी पर्यावरण भवन, 46 - बी, आई0टी0 पार्क, सहस्त्रधारा रोड, देहरादून (iii) क्षेत्रीय कार्यालय, उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, आवास विकास कालोनी, हल्द्वानी, जनपद नैनीताल (iv) कार्यालय जिलाधिकारी, बागेश्वर (v) कार्यालय, जिला पंचायत बागेश्वर (vi) जिला उद्योग केन्द्र, बागेश्वर में उपलब्ध हैं, जिनका कोई भी इच्छुक संस्था / व्यक्ति अवलोकन कर सकता है। झापट पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन रिपोर्ट एवं सारांश की प्रति www.ueppcb.uk.gov.in पर भी उपलब्ध हैं।

श्री 0 माँ भगवती माइन्स एण्ड गिनरल्स द्वारा श्री विश्व विजय सिंह पुत्र श्री किशन सिंह, निवासी होटल सिवर्क, निकट टैक्सि स्टैंड, पिण्डारी रोड, बागेश्वर द्वारा ग्राम भीड़ी एवं बामन भीड़ी, तहसील एवं जिला बागेश्वर में प्रस्तावित सोपस्टोन माइनिंग (क्षेत्रफल - 20.277 हे0) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु लोक सुनवाई दिनांक 16.08.2023 को प्रातः 11:00 बजे से परियोजना स्थल (ग्राम भीड़ी) में तत्समय कोविड - 19 के संदर्भ में विद्यमान SoP के अधीन सोशल डिस्टेंसिंग, आवश्यक रूप से मास्क का प्रयोग, थर्मल स्क्रीनिंग एवं हैंडवाश व सेनेटाइजर तथा अन्य सुरक्षात्मक उपायों के साथ निर्धारित की जाती है।

अतः सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि सम्बन्धित परियोजना के प्रस्ताव के सम्बन्ध में अपने मौखिक, लिखित, सुझाव, टीका टिप्पणियाँ एवं आपत्तियाँ इस कार्यालय अथवा बोर्ड के क्षेत्रीय कार्यालय, उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, आवास विकास कालोनी, हल्द्वानी में इस सूचना से सम्बन्धित विज्ञापन प्रकाशन की तिथि से 30 दिनों के अन्दर प्रेषित कर सकते हैं अथवा लोक सुनवाई के समय भी प्रस्तुत कर सकते हैं।

सदस्य सचिव

उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

पत्रांक-यूईपीसीबी/एचओ/नो-7838/304 दिनांक 23.06.2023

80.00 Set; ₹ 180400.00; 17/07/2023 at 11:00 AM. [7]; 75234032; Roof Assly. Complete for VAG-9HC Loco. as per Spec. No. CLW/4S/3/154, ALT.2, Cat. No. R/9/0081. Warranty Period: 30 Months after the date of delivery; 292.00 Set; ₹ 2000000.00; 6/07/2023 at 11:00 AM.

PSPCL Punjab State Power Corporation Limited
(Regd. Office : PSEB Head Office, The Mall, Patiala-147001)
Corporate Identity Number : U40109PB2010SGC033813

Wankhede gets HC relief in bribery case

Mumbai: The Bombay high court on Friday extended the interim protection from coercive action and arrest granted to IRS officer Sameer Wankhede till Wednesday. Wankhede, a former Narcotics Control Bureau zonal director, got the relief in an alleged bribery case filed by the CBI in connection with a drug bust on a cruise ship. CBI counsel Kuldeep Patil said the interim relief, granted since May 19, should not be continued without proper hearing on the merits of the case, which was "of serious and sensitive nature, and the investigation was in its initial and crucial stage". The interim order has affected the probe, he claimed. The bench said since the CBI had issued notice under section 41A(1) of the CrPC -- to ensure attendance of a person when no arrest is intended and the offence invoked attracts less than seven years' sentence -- was it willing to state whether a need for arrest had now arisen. TNN

इंडियन बैंक Indian Bank
Corporate Office: Estate Department

Times of India 24.08.2023